न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट अलेई)

वाद संख्या :– 03/42/2014

1. लेखराज पुत्र सुखलाल सैनी निवासी राजगढ़ – प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब राजगढ – अप्रार्थी

धारा 136 एल.आर. एक्ट

दिनांक 07.06.2018

आज पत्रावली वास्ते निर्णय कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 905 रकबा 0.68 है. वाके ग्राम थानाराजाजी तहसील राजगढ में से 0.04 है. भूमि प्रार्थी द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 23.02.2008 को श्री प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप ब्राहमण निवासी कारोठ एवं श्री कैलाशचन्द पुत्र मनोहर लाल महाजन निवासी राजगढ से खरीद की थी। इस आराजी में से प्रार्थी ने 0.04 है. भूमि जरिये बयनामा 26.06.2008 को भौंरेलाल पुत्र छीतरमल ब्राहमण राजगढ से खरीदी थी। तभी से वह काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप ब्राहमण से खरीद की आराजी का नामान्तकरण संख्या 482 दिनांक 18.03.2008 को दर्ज अस्वीकार हो गया। इसी कदर प्रार्थी की खरीदशुदा भौंरेलाल ब्राहमण की आराजी का नामान्तकरण संख्या 492 दिनांक 19.07.2008 को स्वीकार हो चुका है। उक्त नामान्तकरण संख्या 482 व 492 वाके ग्राम थाना का हाल जमाबन्दी 2064 से 2067 में इन्द्राज दर्ज हो गया। हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 में उरोक्त खसरा नम्बर 905 का रकबा 0.52 है. दर्ज किया जाकर प्रार्थी को 4/52 हिस्से का खातेदार दर्ज किया है जबकि 0.08 है. यानी 8/52 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है और इसी कदर प्रार्थी काबिज होकर उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थी का सहवन से 8/52 हिस्से के स्थान पर 4/52 दर्ज किया है जो काबिल दुरस्ती योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया कि प्रार्थी लेखराज पुत्र सुखलाल सैनी के सन्दर्भ में जमाबन्दी सम्वत 2068–71 की खाता संख्या 231 में दर्ज खसरा नम्बर 905/0.52 में असल होने वाले नामान्तरकरण संख्या 460, 461, 464, 467, 482, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 492, 498, 600, 617, 620, 652 से जांच की गई। उक्त नामान्तरकरणों का अमल करते समय गत जमाबन्दी सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 231 में प्रेमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन साकिन धमरेड हिस्सा 8/52 व लेखराज पुत्र सुखलाल सैनी हिस्सा 4/52 साकिन राजगढ गत जमाबन्दी सम्वत 2064–67 के खाता संख्या 4 व उक्त नामान्तरकरणों के मुकाबले गलत दर्ज हुआ है। अतः हाल जमाबन्दी ग्राम थाना सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 248 में लेखराज पुत्र सुखलाल सैनी साकिन राजगढ का हिस्सा 4/52 के स्थान पर 8/52 हिस्सा व प्रेमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन साकिन धमरेड हिस्सा 8/52 के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण साकिन कारोठ हिस्सा 4/52 शुद्ध किया जाना उचित है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज बयनामा दिनांक 23.02.2008, 26.06.2008 नामान्तरकरण संख्या 482, 492 जमाबन्दी 2064–67 व 2068–71 का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकॉर्ड से व तहसीलदार की जांच रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों के सही होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार उक्तानुसार रिकॉर्ड व जांच रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिए जाते हैं कि वो हाल जमाबन्दी ग्राम

थाना सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 248 में नामान्तरकरण संख्या 482, 492 व जमाबन्दी 2064–67 व 2068–71 के अनुसार लेखराज पुत्र सुखलाल सैनी साकिन राजगढ का हिस्सा 4/52 के स्थान पर 8/52 हिस्सा व प्रेमप्रकाश पुत्र महादेव प्रसाद जाति महाजन साकिन धमरेड हिस्सा 8/52 के स्थान पर प्रेमचन्द पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहमण साकिन कारोठ हिस्सा 4/52 शुद्ध किया जावे। तहसीलदार राजगढ को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवायी जावे। निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 कैम्प कोर्ट अलेई पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट अलेई)